

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021 — ज्येष्ठ 20, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2010/29-2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा तालिका के कॉलम 2 में वर्णित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष को वर्तमान अपने पदीय कर्तव्यों के साथ-साथ, तदर्थ रूप से, कॉलम 03 में, उनके नाम के सम्मुख, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिये, अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की निम्नानुसार अधिसूचना जारी की जाती है :-

क.	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग का नाम	जिला उपभोक्ता फोरम का अतिरिक्त प्रभार
(1)	(2)	(3)
1.	श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग कोरबा (छ.ग.)	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कोरिया-बैकुण्ठपुर (छ.ग.)
2.	श्री लवकेश प्रताप सिंह बघेल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग दुर्ग (छ.ग.)	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, राजनांदगांव (छ.ग.)
3.	श्री उत्तरा कुमार कश्यप, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बिलासपुर (छ.ग.)	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कबीरधाम (छ.ग.)
4.	श्रीमती तजेश्वरी देवांगन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जांजीगर-चांपा (छ.ग.)	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायगढ़ एवं सम्बद्ध अंशकालिक अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जशपुर-नगर, (छ.ग.)
5.	श्री विजय कुमार एक्का, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जगदलपुर (छ.ग.)	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग धमतरी (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.